

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-3
संख्या-4051/चि0-3-16-जी-215/2016,
लखनऊ : दिनांक : 03 जनवरी, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

डा0 आर0एन0 शाही, चिकित्साधिकारी, ओपेक चिकित्सालय, कैली बस्ती को सेवा स्थानान्तरण के आधार पर मेडिकल कालेज, गोरखपुर में प्रवक्ता, ई0एन0टी0 के पद पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-464/71-1-05-ग0-28/2005, दिनांक 17.05.2005 द्वारा 01 वर्ष अथवा लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने, जो भी पहले घटित हो, तक के लिए तैनात किया गया था। तत्पश्चात मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में चिकित्सा शिक्षकों की कमी के दृष्टिगत सेवा स्थानान्तरण अवधि समय-समय पर बढ़ायी जाती रही हैं अन्तिम बार डा0 आर0एन0 शाही की सेवा स्थानान्तरण अवधि कार्यालय ज्ञाप संख्या-1737/71-1-15-ग0-28/2005, दिनांक 22.12.2015 द्वारा दिनांक 28.10.2015 के पश्चात 01 वर्ष के लिए दिनांक 28.10.2016 तक बढ़ायी गयी थी।

2- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के त्र संख्या-एम0ई0-2/2015/1621, दिनांक 12.08.2015 द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त श्रीराज्यपाल महोदय, मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर के आचार्य, ई0एन0टी0 के पद पर कार्यरत डा0 आर0एन0 शाही की प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त करते हुये डा0 शाही को मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर के अधीन एतद्वारा तैनात किया जाता है।


डा0 नीरज शुक्ला
विशेष सचिव।

08/2017

संख्या-4051(1)/चि0-3-16-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर।
6. अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन,) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, उ0प्र0 लखनऊ।
7. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
8. मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि डा0 आर0एन0 शाही, चिकित्साधिकारी, मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर को अपने स्तर से तत्काल सूचित करते हुये एक सप्ताह के अन्दर कार्यभार ग्रहण कराया जाना सुनिश्चित करें।
9. कोषाधिकारी, गोरखपुर।
10. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर)।
11. प्रभारी कम्प्यूटर सेल (पी0-2), महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी से पी0जी0 कोर्स का संगत प्रमाण-पत्र प्राप्त करके पी0-2 में एक माह के अन्दर अंकित कर शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
12. निजी सचिव मा0 मंत्री जी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
13. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जे0 एल0 यदव)
अनु सचिव।